

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 466 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त 14 / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, देवरिया-कसया मार्ग एस०एच०-79 के कि०मी० 11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला देवरिया, देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 0.5 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सदर्भ- भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/135/2023/एफ०सी०/92 दिनांक 01.08.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 338/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/153338/2022, दिनांक 05.08.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-384/2-6, दिनांक 12.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 384/2-6, दिनांक 12.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या- 466 अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर







